



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन "ख" वर्ग
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431, E-Mail-cepwdua@gmail.com, Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक ५२५/05 व्यख-सा0/2018

दिनांक 08/जून/2018

:: कार्यालय ज्ञाप ::

स्थानान्तरण अधिनियम (सं0-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वृत्तीय संवर्ग में निम्न प्रशासनिक अधिकारी को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0 04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री. घनश्याम नौटियाल, प्रशासनिक अधिकारी	सिविल वृत्त लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग	9वाँ वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून	धारा 17 (1) (ख) (पांच) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर

1. सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. सम्बन्धित अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो0नि0वि0 देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 पौड़ी/देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग।
4. अधीक्षण अभियन्ता, 11 वाँ वि0/याँ0 वृत्त, लो0नि0वि0 देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी.....।
6. श्री. घनश्याम नौटियाल, प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग।
7. गार्ड पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन "ख" वर्ग
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431, E-Mail-cepwdua @ gmail.com , Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 526 / 05 व्यख-सा0 / 2018

दिनांक 8 / जून / 2018

:: कार्यालय ज्ञाप ::

स्थानान्तरण अधिनियम (सं0-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वृत्तीय संवर्ग में निम्न प्रधान सहायक को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0 04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री. बद्रीदत्त बवाडी, प्रधान सहायक	द्वितीय वृत्त नैनीताल	सिविल वृत्त लो0नि0वि0 चम्पावत	धारा 17 (1) (क)

1. सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होन के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. सम्बन्धित अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सत्येन्द्र शर्मा)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो0नि0वि0 देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 हल्द्वानी/पिथौरागढ़।
3. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0 नैनीताल।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0 चम्पावत।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी.....।
6. श्री. बद्रीदत्त बवाडी, प्रधान सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग।
7. गार्ड पत्रावली।

8.6.18

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन 'ख' वर्ग
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431, E-Mail-cepwdua @ gmail.com , Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 527/05 व्यख-सा0/2018

दिनांक 08/जून/2018

:: कार्यालय ज्ञाप ::

स्थानान्तरण अधिनियम (सं0-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वृत्तीय संवर्ग में निम्न प्रधान सहायक को कार्यरहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0 04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्रीमती. लीला टोलिया, प्रधान सहायक	05वाँ वि0/यां0 वृत्त लो0नि0वि0 हल्द्वानी	06वाँ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी	धारा 17 (1) (क)

1. सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होन के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. सम्बन्धित अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3/0

(सत्येन्द्र शर्मा)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो0नि0वि0 देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 हल्द्वानी/टिहरी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 05वाँ वि0/यां0 वृत्त, लो0नि0वि0 हल्द्वानी।
4. अधीक्षण अभियन्ता, 06वाँ वृत्त, लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी.....।
6. श्रीमती. लीला टोलिया, प्रधान सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 05वाँ वि0/यां0 वृत्त लो0नि0वि0 हल्द्वानी।
7. गार्ड पत्रावली।

3/0
8.6.18

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

